कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक–65
आर.बी.ई. सं.– निल
पत्र सं NER-HQ0PERS(POLI)/8/2020-O/o SPO/HQ/HQ/NER दिनांक 19.11.2020
23

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :– विभागीय चयन परीक्षा के प्रश्नोत्तर में कटिंग/ओवराइंटिग एवं हाईलाइटर के प्रयोग के सम्बन्ध में ।

.....

विषयगत मामलें में विभागीय चयन परीक्षा के प्रश्नोत्तर में कटिंग/ओवराइंटिग एवं हाईलाइटर के प्रयोग के सम्बन्ध में पद्वति सुधार किया जाता है कि Gide Lines for Personnel officers and members of the selection board में जारी दिशा–निर्देश के क्रम संख्या 09 में दिशा–निर्देश दिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न) है ।

अतः उक्त मामलें में विभागीय चयन परीक्षा के प्रश्नोत्तर में कटिंग/ओवराइंटिग एवं हाईलाइटर के प्रयोग के सम्बन्ध में उपरोक्त दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए, ताकि किसी तरह की अनियमितता से बचा जा सकें ।

संलग्नक/यथोपरि

(प्रदीप कुमार) 23.11.20
वकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर ।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

9. **उत्तर पुस्तिकाओं की जांच :**

9.1 लिखित परीक्षा के समाप्त होते ही, प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न सादा पन्ने पर एक नकली (डमी) रोल नम्बर लिख दिया जाना चाहिए तथा मूल रोल नंबर के साथ नकली (डमी) रोल नंबर लिखे सादे पन्ने को उस कॉडर के प्रभारी अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए जिस कॉडर के लिए चयन किया जा रहा है । जांच करने वाले अधिकारी के पास भेजी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं पर केवल नकली (डमी) रोल नंबर होगें ताकि जांच करने वाला अधिकारी उम्मीदवारों की पहचान न कर सके ।

टिप्पणी (1) : सादा पन्ने और नकली (डमी) रोल नंबर के बिना उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने की अनुमति नहीं है ।

टिप्पणी (2) : उन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, जिनपर सादा पन्ना तथा नकली (डमी) रोल नंबर है लेकिन उम्मीदवार ने उत्तर के अन्य पृष्ठों पर अपना नाम या रोल नंबर लिख दिया है, करने की अनुमति नहीं होगी ।

टिप्पणी (3) : उत्तर पुस्तिकाओं का, विशेष रूप से वर्णनात्मक प्रकार के उत्तरों की उचित एवं एक समान जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उत्तर पुस्तिका की जांच करने से पूर्व जांच करने वाले अधिकारी को वस्तुपरक और वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्नों के सही उत्तर अलग से तैयार रखने चाहिए और तब इन उत्तरों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी चाहिए ।

टिप्पणी (4) : पहले पेंसिल जांच से अंक लिखना तत्पश्चात् स्याही से अंकित करना, गलत प्रक्रिया है । कई बार पेंसिल से लिखे अंकों तथा स्याही से अंकित अंकों में भिन्नता हो जाती है ।

टिप्पणी (5) : प्रश्न के लिए एक बार दिए गए अंकों में शुद्धि करने, मिटाकर, काटकर लिखने, काटने अथवा उस पर पुनः लिखने आदि की अनुमति नहीं है ।

टिप्पणी (6) : जांच करने वाले अधिकारी द्वारा स्वयं अपनी जांच की समीक्षा करना तथा मौखिक परीक्षा के लिए विचार किए जाने के दायरे में अधिक उम्मीदवारों को लाने के लिए उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत को ध्यान में रखकर अंक प्रदान करना एक गलत प्रवृत्ति है । उम्मीदवारों द्वारा दिए गए उत्तर की शुद्धता और मात्रा के आधार पर ही अंक दिए जाने चाहिए ।

9.2 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले अधिकारी को उम्मीदवारी–विशेष को अनुग्रह अंक (ग्रेस मार्क) नहीं देने चाहिए। [भा.रे. स्था.नि. का पैरा 219 (घ)]

टिप्पणी (1) : चयन बोर्ड द्वारा अथवा चयन बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात् मंडल रेल प्रबन्धक और प्रमुख विभागाध्यक्षकों के अनुमोदन से नियंत्रित रूप से अनुग्रह अंक दिए जा सकते हैं । लेकिन ऐसा नकली (डमी) रोल नंबर का कूट खोलने (डिकोड) से पहले किया जाएगा अन्यथा चयन बोर्ड को उम्मीदवारों की जानकारी हो जाएगी और उस स्थिति में किसी उम्मीदवार विशेष की सहायता के लिए अनुग्रह अंक दिए जा सकते हैं ।

टिप्पणी (2) : अनुग्रह अंक प्रदान करते समय चयन बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक उम्मीदवार को एक समान अंक प्रदान किए जाए तथा उम्मीदवारों को उनके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुपात से अनुग्रह अंक नहीं दिए जाएं।

9.3 जांच पूरी हो जाने के बाद जांच करने वाला अधिकारी प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रदान किए गए अंको की तालिका बनायेगा और उसका जोड़ करेगा । ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि केवल अपेक्षित प्रश्नों का ही उत्तर दिया गया है और जांच की गई है तथा अंकों का जोड़ सही है ।

टिप्पणी (1) : प्रायः यह देखा गया है कि सर्तकता संबंधी जांच से जो मुद्दा सामने आता है वह उत्तर पुस्तिकाओं की जांच से संबंधित होता है । जो अंकों की भूल–चूक के बारे में होता है । यह अनिवार्य है कि जब भी उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए मूल्यांकन अधिकारी के पास भेजी जाएं उसे इस विषय पर अनुदेशों की जानकारी दी जाए।